

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास - श्री अशोक कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 134/2018

अपीलान्त
पंछीराम पुत्र मोतीराम जाति बणजारा निवासी
ताउसर तहसील व जिला नागौर
उपस्थिति :-

बनाम

रेस्पोडेन्ट
तहसीलदार, नागौर

1. श्री भंवरलाल सारस्वत अधिवक्ता अपीलान्त की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक:18.06.2018

{1}-मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्त ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, नागौर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 232/2017 सरकार बनाम पंछीराम में निर्णय दिनांक 31.10.17 के तहत मौजा ताउसर के खसरा नं. 354 रकबा 0.10 बीघा गै.मु. गोचर भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 11.04.18 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्त की अपील दिनांक 26.04.18 को मियाद का बिंदु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}-उभयपक्ष के वकूलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्त के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अपीलांत खाने कमाने बाहर गया हुआ था, दिनांक 29.03.18 को एसडीओ नागौर व तहसीलदार नागौर वाले बेदखल करने के लिये मौके पर आये तो अपीलांत को निर्णय की जानकारी मिली और अपीलांत ने अपना अधिवक्ता नियुक्त कर निर्णय जैर अपील की कॉपी ली और निर्णय की प्रतिलिपि मिलते ही जानकारी होते ही अपील प्रस्तुत कर दी। जिससे अपील अपीलांत जानकारी से अंदर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया है। अपील अपीलांत पेश करने में हुआ विलंब सद्भावी, युक्तियुक्त व सम्यक कारणों से हुआ विलंब है, जो जानकारी के अभाव में हुआ था, विलंब कंडोन कर अपील का निस्तारण गुणावगुण पर किये जाने का निवेदन किया है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नहीं किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांत की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांत ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि -

{2}(I)-अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील खिलाफ कानून, तथ्यों व परिस्थितियों के विपरीत तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत पारित किया होने से खारिज होने योग्य है।

2}(II)-पटवारी हल्का ताउसर ने बिल्कुल ही मनगढत आधार पर संवत 2074 में अपीलांत द्वारा अतिक्रमण करने की रिपोर्ट तहसीलदार नागौर के समक्ष झूठी पेश की, क्यों कि अपीलांत का मकान व टांका लगभग पिछले चालीस वर्षों से बना हुआ है, अपीलांत का इस आवास के अलावा भारत वर्ष में कही भी जमीन नहीं है और अपीलांत एक घुमक्कड जाति का व्यक्ति है, जिसको बसाने के लिये समय समय पर सरकारी योजनाये बनी है, अपीलांत ने अपने खून पसीने की कमाई से आसरा बनाया, अगर उसे बेदखल कर दिया, तो वह बर्बाद हो जायेगा। नन्हे मुन्ने बच्चे व घर के बूढे सदस्य के सिर छिपाने के लिये कोई जगह नहीं रहेगी। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इन सभी तथ्यों को नजरअंदाज करने में बहुत बड़ी भारी कानूनी व वाक्याती भूल की है, जिससे निर्णय जैर अपील निरस्तनीय है।

{2}(III)-अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह उल्लेख किया है कि मतदाता फोटो परिचय पत्र, राशनकार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, बिजली का बिल जो पेश किये गये हैं, वो तो राज्य सरकार की योजना अनुसार पेश किये गये हैं, कब्जा संबंधी कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये हैं, बडा हास्यास्पद तथ्य है, क्योंकि अपीलांत वहां निवास नहीं करते तो उनका मतदाता पत्र, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड आधार कार्ड और बिजली का कनेक्शन कैसे होते, यह सभी दस्तावेज इस बात के परिचायक है कि अपीलांत का कब्जा पुराना है, संवत 2074 में अपीलांत ने कोई कब्जा नहीं किया है, साथ में अधीनस्थ न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया है कि यह बंजारा जाति के लोग है, जो बाहर से आकर बसे है, परंतु बंजारा एक घुमक्कड



अपर कलक्टर, नागौर

जाति है, जिनको बसाया गया, अब उन्हें यह कहकर कि वो बाहर के है कतई गलत है और वो मतदाता है उनके राशन कार्ड बने हुए है, उनका भामाशाह कार्ड बना हुआ है, इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि वो बाहर के व्यक्ति है, ऐसी स्थिति में भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील खारिज होने योग्य है।

[2](IV)-पूर्व में भी इस भूमि में से आबादी भूमि आवंटित हो चुकी है, चिपती आबादी भूमि है और गोचर भूमि में से आबादी भूमि के रूप में आवंटन किया जा सकता है और अपीलांट स्वतंत्र भारत का नागरिक है, उसे इस आवास में रहने से ही मतदान करने का अधिकार मिला। उसका राशन कार्ड बना, भामाशाह कार्ड बना और बिजली का कनेक्शन हुआ। इसलिये अपीलांट के हक में नियमन की सिफारिश करना चाहिये था, परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने बेदखली का आदेश दिया, जो असंवैधानिक है। अपीलांट गरीब घुमक्कड़ जाति का व्यक्ति है, अगर उसे बेदखल कर दिया गया तो उसका व उसके परिवार का जीना दुर्भर हो जायेगा, सिर छिपाने के लिये कोई जगह नहीं रहेगी। इसलिये कानून के मूलभूत सिद्धान्तों व मानीवीय दृष्टिकोण को नजरअंदाज करके अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है। वो खारिज किये जाने योग्य है।

[3]- राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा ताउसर में स्थित गै. मु. गोचर भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। आराजी भूमि की किस्म गै.मु. गोचर है। जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि होने से ऐसी भूमियों के खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

[4]- उभयपक्ष के वकूलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके ताउसर के खसरा नंबर 354 रकबा 0.10 बीघा गै.मु. गोचर भूमि पर अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट के अधिवक्ता का अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। आराजी भूमि की किस्म गै.मु. गोचर राजकीय भूमि है। जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत ऐसी भूमियों के खातेदारी अधिकार दिये जाने प्रतिबंधित किये हुए हैं। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील विधिसम्मत होने से इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

[5]- उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है।

[6]- निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अशोक कुमार)
अपर कलक्टर, नागौर
नागौर